


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1197]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 10, 2015/ज्येष्ठ 20, 1937

No. 1197]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 10, 2015 /JYAISTHA 20, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2015

का.आ. 1526(अ).— नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 13 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री के परामर्श से श्री नरेश कुमार, आई ए एस (ए जी एम यू:1987) को, एतद्वारा, श्री धरम पाल, आई ए एस (ए जी एम यू : 1988) के स्थान पर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद का अध्यक्ष नियुक्त करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 30.04.2015 की अधिसूचना संख्या का. आ. में श्री नरेश कुमार द्वारा कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से, निम्नलिखित और संशोधन करती है :-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, उप पैरा (क) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित उप पैरा तथा प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(क) धारा 4 की उप धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ परामर्श करके श्री नरेश कुमार को अध्यक्ष नियुक्त करते हैं।”

[फा.सं. 14016/04/2013—यू टी एस—I]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 18 जनवरी, 2011 की संख्या 101 (अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् इसे दिनांक 24 जून, 2011 की संख्या का. आ. 1453 (अ), दिनांक 14 जुलाई, 2011 की संख्या का. आ. 1628 (अ), दिनांक 17 अप्रैल, 2012 की संख्या का. आ. 835 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2012 की संख्या का. आ. 1737 (अ), दिनांक 9 जुलाई, 2013 की संख्या का. आ. 2133 (अ), दिनांक 9 जुलाई, 2013 की संख्या का. आ. 2134 (अ), दिनांक 25 जुलाई, 2013 की का. आ. 2308 (अ), दिनांक 05.09.2014 की संख्या का.आ. 2239 (अ) और दिनांक 30.04.2015 की संख्या का.आ. के तहत संशोधित किया गया।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th June, 2015

S.O. 1526(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 4, read with sub-sections (1) and (2) of section 13 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), the Central Government in consultation with the Chief Minister of National Capital Territory of Delhi, hereby appoints Shri Naresh Kumar, IAS (AGMU:1987) to be the Chairperson of the New Delhi Municipal Council vice Shri Dharam Pal, IAS (AGMU:1988) and for that purpose makes the following further amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, number S.O. dated 30.04.2015 with effect from the date Shri Naresh Kumar assumes the charge, namely:—

In the said notification, in paragraph 2, for sub-paragraph (a) and the entries relating thereto, the following sub-paragraph and entries shall be substituted, namely:-

“(a) under clause (a) of the sub-section (1) of section 4, in consultation with the Chief Minister of Delhi, appoints Shri Naresh Kumar as Chairperson.

[F.No. 14016/04/2013.UTS-I]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number 101(E) dated the 18th January, 2011 and subsequently amended vide No. S.O. 1453(E) dated 24th June, 2011, S.O. 1628(E) dated 14th July, 2011, S.O. 835(E) dated 17th April, 2012, S.O. 1737(E) dated 3rd August, 2012, S.O.2133(E) dated 9th July, 2013, S.O. 2134(E) dated 9th July, 2013, S.O. 2308(E) dated 25.07.2013, S.O. No. 2239(E) dated 05.09.2014 and S.O. dated 30.04.2015.